

AC- 2327
27/7/16

OFFICE OF DIRECTOR HIGHER EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA

ORDER

NO. 12/21-2016 Admn.(5)

Dated, Panchkula, the 1-7-2016

A copy of letter No. 62/24/2016-6जीएसा दिनांक 08.6.2016 received from मुख्य सचिव हरियाणा सरकार addressed to all Head of the Departments and others is forwarded to the following for information and necessary action.

1. All the Principals of Government Colleges in the State.
2. All the commanding Officers, N.C.C. Units in the State.
3. Registrar, Kurukshetra University; Kurukshetra/Maharishi Dayanand University, Rohtak/ Chaudhary Devi Lal University, Sirsa/ Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya, Khanpur Kalan (Sonapat)/ Indira Gandhi University, Meerpur (Rewari)/ Chaudhary Ranbir Singh University Jind/Chaudhary Bansi Lal University, Bhiwani.
4. All the Librarians of District Libraries/sub divisional Libraries in the State of Haryana/Librarian, Central State Library, Ambala Cantt.

Superintendent Administration
for Director Higher Education Haryana,
Panchkula

Endst. No. Even

Dated, Panchkula the 1-7-2016

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Headquarter Officers and Head of Branches.
2. Legal Cell/Audit Cell/Librarian.
3. PSD,H.E.
4. Steno to Additional Director Admn./A.D.Admn/R.E.

Superintendent Administration
for Director Higher Education Haryana,
Panchkula

ACADEMIC BRANCH

Endst. No. AC-6/16/ 19193-19292 dated 5/9/16

Copy of the above letter bearing No.12/21-2016 Admn. (5) dated 01.07.2016 has been considered by the Vice-Chancellor and as per orders, it is forwarded to the following for information and necessary action. For translation purpose, the Head, Dept. of Hindi may be consulted as the translation course is being run in the Department:-

1. Director General, Higher Education, Haryana, Shiksha Sadan, Sector-5, Panchkula in response to its letter referred above, as follow up action.
2. Dean Colleges Development Council, M.D.University, Rohtak.
3. Dean, Students Welfare, M.D.University, Rohtak.
4. All the Heads of the UTDs, M.D.University, Rohtak.
5. Finance Officer, M.D.University, Rohtak.
6. Director, UILMS, Sector-40, Gurgaon.
7. Director, DDE, M.D.University, Rohtak.
8. Director, UIET, M.D.University, Rohtak.
9. Controller of Examinations, M.D.University, Rohtak.
10. Proctor, M.D.University, Rohtak.
11. Provost (Boys), M.D.University, Rohtak.
12. Provost (Girls), M.D.University, Rohtak.
13. Librarian, M.D.University, Rohtak.
14. Joint Director (Audit), M.D.University, Rohtak.
15. All the Branch Officers, M.D.University, Rohtak.
16. P.A. to Vice-Chancellor/Dean Academic Affair/Registrar, M.D.University, Rohtak.

Incharge(Academic) 5/9/16

abaw

DHE

No.

Date

3186

21/6/16

22/6/16

Director General High
Education

क्रमांक:- 62/24/2016-6जी0एस01

10 JUN 2016

1011-6

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला, हिसार, गुडगांव तथा रोहतक मण्डल।
2. सभी उपायुक्त तथा उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) हरियाणा राज्य।
3. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा सभी जिला सत्र व न्यायाधीश।
4. हरियाणा राज्य के सभी बोर्ड/निगम/समितियां।
5. हरियाणा राज्य के सभी विश्वविद्यालय।

दिनांक: चंडीगढ़ 8 जून, 2016

सभी सरकारी विभागों में जनता से संबंधित और विभागीय प्रयोग के फार्मों का हिन्दी में होना अनिवार्य करने बारे।

विषय

महोदय,

आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाते हुए सूचित किया जाता है कि भारत

सरकार की नियमावली 1976 के नियम 11 के अनुसार देश भर में केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, अधिकरणों आयोगों के सभी फार्म हिन्दी में होने अनिवार्य हैं। हिन्दी के अक्षर अंग्रेजी से छोटे नहीं होने चाहिए। हिन्दी के अक्षर अंग्रेजी से पहले अथवा ऊपर होने चाहिए।

2. आपको विदित है कि हरियाणा की राजभाषा हिन्दी है और सरकार के पत्र क्रमांक 12/45/93-6जी0एस01, दिनांक 25.05.1993 तथा 62/37/1998-6जी0एस01, दिनांक 06.10.1999 द्वारा कार्यालयों को हिन्दी में कार्य करने के निर्देश पहले भी जारी किए गए हैं। किन्तु सरकार के ध्यान में लाया गया है कि विभिन्न विभागों, आयोगों, शिक्षण संस्थानों से संबंधित फार्म केवल अंग्रेजी भाषा में हैं, जिसके कारण आम जनता को इन्हें समझने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार ने मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करते हुए निर्णय लिया है कि सभी विभाग, आयोग समितियां, शिक्षण संस्थान अपने विभाग से संबंधित सभी फार्मों, आवेदन पत्रों का हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सपष्ट अनुवाद करवाएं एवं अपनी विभागीय website पर रखना सुनिश्चित करें।

3. इन हिदायतों की अवहेलना करने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। अतः आपसे अनुरोध है कि इन हिदायतों की कड़ाई से पालना करवाएं।

पुनम कुमार

अधीक्षक, सामान्य सेवायें-1 शाखा,
कृते मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

पुनम कुमार

अधीक्षक, सामान्य सेवायें-1 शाखा,
कृते मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

हरियाणा सरकार के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव।

क्रमांक:- 62/24/2016-6जी0एस01

दिनांक: चंडीगढ़ 8 जून, 2016